तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.Act Case No. 92/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
28.03.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, G-1, 21 रिको एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 08.04.2024 को फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, G-1, 21 रिको एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) का नमूना संख्या S-2247, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./503/Act/2024/523** दिनांक 24.4.2024 में Contravention of Regulation No.4(6) of Food Safety and standard (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 58 व 64(1) के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 28.3.2025 को श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी की बहस सुनी गई, जिन्होंने बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कोई कार्यवाही मौके पर व विधि अनुसार सम्पादित नही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) के सेम्पल को एकत्रित कर कब्जे में लेकर एक निश्चित ताप पर स्टोर नही किये थे जिसकी जानकारी प्रतिवादी ने आवेदक को दी थी कि उक्त Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) के सेम्पल को एक निश्चित ताप में ही स्टोर करे, अन्यथा तापमान कम ज्यादा होने पर Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) की क्वालिटी प्रभावित होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) के सेम्पल को एकत्रित कर कब्जे जाब्ते में लिया जाने के समय से लेकर वक्त परीक्षण तक सेम्पलिंग को किस तापमान पर स्टोर किया तथा विधि सम्मत स्टोरेज की प्रक्रिया के पालन के सबंध में कोई भी कथन का दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत नही किया है। साथ ही आवेदक की उक्त त्रृटि के कारण ही सेम्पल की क्वालिटी प्रभावित हुई है ....लगातार	

पवि, जिला कलक्टर
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.Act Case No. 92/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	जिसमें उक्त सेम्पल Contravention of Regulation No.4(6) of Food Safety and standard (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 होना पाया जाने में प्रतिवादी की कोई त्रुटि या अपराध किया जाना गलत व मनगंढत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधिसम्मत स्टोरेज प्रक्रिया का पालन नही कर केवल मात्र आंकडे दर्शित करने हेतु प्रतिवादी की दुकान से उक्त सेम्पल लिया जाकर प्रतिवादी को झूठां फंसाया गया है। सही हकीकत यह है कि उक्त सेम्पलिंग के बाद से सेम्पल को एक ही तापमान पर स्टोर किया जाना आवश्यक व विधि सम्मत था परन्तु उक्त स्टोरेज की त्रुटि के कारण की सेम्पल की क्वालिटी प्रभावित हुई है जिससे उक्त सेम्पलिंग विक्रय व एकत्रित करने की कार्यवाही मे प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) व धारा 58 व 64(1) का उल्लंघन प्रमाणित व साबित नही होता है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 08.04.2024 को फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, G-1, 21 रिको एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– गोकुलवाडी, शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) के 100 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक पैकेट एक लीटर) रखे हुये थे, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल को प्रपत्र 5ए में गवाह के समक्ष भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी की दुकान के अन्दर आम जन की बिक्री हेतु रखे उक्त खाद्य पदार्थ Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) के 100 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक पैकेट एक लीटर) में से Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) के 4 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक पैकेट एक लीटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1500/– (अक्षरे रुपये एक हजार पांच सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2247, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र श्री ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला अभिभाषक सिरोही (राज०)

प्रति. जिला अभिभाषक
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.Act Case No. 92/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	रतनलाल अग्रवाल के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना पैकेटों को अलग अलग कागज में लपेटकर व कागज के सिरों को मोडकर गोंद से चिपकाया व चारों नमूना पैकेटो पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2247 को नियमानुसार उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटो / नमूना भागों को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। चारों नमूना पैकेटों पर प्रतिवादी विक्रेता दिव्यांशु व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे / जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 12.4.2024 को श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 09.4.2024 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, G-1, 21 रिको एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल से खाद्य पदार्थ Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) के एक–एक लीटर के पैक्ड पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) का नमूना संख्या S-2247 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./503/Act/2024/523** ....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.Act Case No. 92/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

दिनांक 24.4.2024 में Contravention of Regulation No.4(6) of Food Safety and standard (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 58 व 64(1) के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 व 64(1) के तहत Contravention of Regulation No.4(6) of Food Safety and standard (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 खाद्य पदार्थ Inter Esterified Veg Fat (ब्राण्ड– शीशदानी) (नमूना संख्या S-2247) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, G-1, 21 रिको एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 02.5..2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)